<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99</u>

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-24012024-251593 SG-DL-E-24012024-251593

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]	दिल्ली, बुधवार, जनवरी 24, 2024/माघ 4, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 406
No. 36]	DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 24, 2024/MAGHA 4, 1945	[N. C. T. D. No. 406

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 जनवरी, 2024

फा.सं. 8(755)/संशोधन/लाडली/डीडब्ल्यूसीडी/2022—23/16938-50.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा दिनांक 01 फरवरी 2008 की अधिसूचना संख्या फा. 8(1)/ एफएएस/जीसीपीआर/डीएसडब्ल्यू/06—07/2056—70 के द्वारा दिल्ली राजपत्र में यथाप्रकाशित" दिल्ली लाडली योजना नियमावली, 2008" से संबंधित नियमों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं—

- 1. दिल्ली लाडली योजना नियमावली, 2008 (तत्पचात मूलनियम के रूप में संदर्भित) के नियम 3 के उप—नियम 1 में 'जिला समाज कल्याण अधिकारी' शब्दों के स्थान पर **'जिला महिला एव बाल विकास अधिकारी'** शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 2. मूलनियमों के नियम 3 के उप—नियम 2 में 'जिला समाज कल्याण अधिकारी' शब्दों के स्थान पर **'जिला महिला एवं** बाल विकास अधिकारी' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 3. मूलनियमों के नियम 6 के उप-नियम 1 हेतु, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे-
 - 1. इन नियमों के अंतर्गतिवत्तीय सहायता हेतु आवेदनपत्र संबंधित क्षेत्र के जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को जमा किया जाएगा। आवेदन पत्र को कार्यालय उप—निदेशक, लाडली शाखा, महिला एवं बाल

533 DG/2024 (1)

विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त किया जा सकता है अथवा आधिकारिक वेबसाइट से इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाउनलोड किया जा सकता है।

4. मूलनियमों के नियम ७ के उप-नियम १ में 'समाज कल्याण विभाग' शब्दों का विलोप किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, विनोद पी. कावले . आईएएस. सचिव

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT NOTIFICATION

Delhi, the 16th January, 2024

- **No. F. 8**(755)/Amendments/Ladli/DWCD/2022-23/16938-50.—The Lt. Governor of Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following amendment in Rules in respect of "Delhi Ladli Scheme Rules, 2008" as published in the Delhi Gazette vide Notification No.F.8(1)/FAS/GCPR/DSW/06-07/2056-70 dated February 01, 2008.
 - In the Delhi LADLI Scheme Rules, 2008 (hereinafter referred to as the principal rules), in sub rule 1 of rule 3
 for the words 'District Social Welfare Officer', the words 'District Women & Child Development Officer'
 shall be substituted.
 - 2. In the principal rules, in sub rule 2 of rule 3 for the words 'District Social Welfare Officer', the words 'District Women & Child Development Officer' shall be substituted.
 - 3. In the principal rules, for sub rule 1 of rule 6. Following sub rule shall be substituted-
 - An application for the financial assistance under these rules shall be submitted to the concerned area
 District Women & Child Development Officer, which may be obtained from the office of the Deputy
 Director, Ladli Branch, Department of Women & Child Development, Government of NCT of Delhi or
 electronically downloaded from official website.
 - 4. In the principal rules, in sub rule 1 of rule 7, the words to 'the Dept. of Social Welfare' shall be omitted.

By Order and in the Name of the Lt. Governor

of the NCT of Delhi,

VINOD P. KAVLE, IAS, Secy.